(अनवान लखवीर सिंह बनाम अमरजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :– 209/2023)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 209/2023

लखवीर सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह जाति जट सिख निवासी 5 सी छोटी, तहसील व जिला श्री गंगानगर राज० ।

.... **वादी**

बनाम

1. अमरजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह जाति जट सिख निवासी 5 सी छोटी, तहसील व जिला श्री गंगानगर
2. गुरविन्द्र कौर ग्रेवाल पत्नि मनजीत सिंह जाति जट सिख निवासी 5 सी छोटी, तहसील व जिला श्री गंगानगर राज० ।
3. नवनीत कौर ग्रेवाल पुत्री मनजीत सिंह जाति जट सिख निवासी 5 सी छोटी, तहसील व जिला श्री गंगानगर राज०
4. परमजीत कौर पत्नि हरभजन सिंह जाति जट सिख निवासी 5 सी छोटी, तहसील व जिला श्री गंगानगर
5. संजीत ग्रेवाल पुत्री मनजीत सिंह, जाति जट सिख निवासी 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्य
6. महेन्द्र सिह पुत्र बसन्त सिह जाति जटसिख निवासी 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर ।

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — वादी
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी–7

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.01.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादी एवम प्रतिवादीगण स० 1 से 5 के नाम से तहसील व जिला श्री गंगानगर के चक 5 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, के खाता संख्या 6/3 मुरबा न0 24, 37, 45, में कुल तादादी 11.130 है0 नहरी मय खाल, एवम वादी एवं प्रतिवादीगण स० 1 से 6 के नाम से तहसील व जिला श्री गंगानगर के चक 5 सी छोटी, पटवार हल्का 3 [illegible] के खाता संख्या 79 / 56 मुरबा न0 24, में कुल तादादी 3.289 है0 नहरी मय [illegible] भूमि [illegible] खातेदारी राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित [illegible] की भूमि चक 5 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, के खाता संख्या 6/3 मुरबा न0 [illegible] 37,45, में कुल तादादी 11.130 है0 नहरी मय खाल में से 1/3 हिस्सा अर्थात 3.710 है0, वादी के नाम से एवम प्रतिवादी स० 1 अमरजीत सिह के नाम से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स० 2 गुरविन्द्र कौर के नाम से 1/1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा व प्रतिवादी स० 3 नवनीत कोर के नाम से 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 परमजीत कोर के नाम से 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी स0 5 संजीत ग्रेवाल के नाम से 1/12 हिस्सा दर्ज है । चक 5 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, तहसील श्रीगगांनगर के खाता संख्या 79/56 मुरबा न0 24, में कुल तादादी 3.289 है0 नहरी मय खाल सयुंक्त खाता की भूमि में से 809/3289 हिस्सा यानि 0.809 है० नहरी भूमि वादी के नाम से दर्ज है। एवम प्रतिवादी स० 1 अमरजीत सिह के नाम से 810 / 3289 हिस्सा, प्रतिवादी स० 2 गुरविन्द्र कौर के नाम से 809/13156, हिस्सा व प्रतिवादी स० 3 नवनीत कोर के नाम से 809/13156 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 परमजीत कोर के नाम से 809/13156 व 809/3289 हिस्सा प्रतिवादी स0 5 महेन्द्र सिंह के नाम से 4/253, व प्रतिवादी स0 6 संजीत ग्रेवाल के नाम से 809/13156 हिस्सा रकबा दर्ज है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी के कब्जा काश्त है । वादी व प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य व भाई बहिन है एवम पूर्वजो द्वारा आपसी सहमति से दोनो खातो की कृषि भूमि काश्त करते है एवम उसी अनुसार वादी अपना अलग खाता दर्ज करवाना चाहता है । वादीगण व प्रतिवादीगण घरेलू बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा के रकबा पर कब्जा काश्त चले आ रहे है तथा अर्सा दराज से उक्त रकबा को काश्त कर रहे है एवम उक्त अनुसार ही पानी आदि की पर्चीया बनी हुई है जिसकी फोटो प्रति सलग्न है। वादी अपने हिस्सा व कब्जा अनुसार दोनो खातो की कृषि भूमि का विभाजन करवाना चाहता है ताकि वादी को कृषि कार्य करने में कोई कठिनाई न हो एवम दोनो खाताजात की कृषि भूमि का विभाजन कर अलग खाता दर्ज किया जावे। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी मंगवाया जा सकता है। वादी एंव प्रतिवादी स० 1 से 6 चक 5 सी छोटी खाता संख्या 6/3 व खाता संख्या 79/56 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी स० 1 से 6 वादी की कब्जा काश्त की भूमि को रहन बैय करने की फिराक मे है इसलिये वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार आग्रह किया कि वह कब्जा काश्त के आधार पर कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लेवे परन्तु प्रतिवादीगण स० 1 से 6 आज कल कह कर टाल मटोल करते आ रहे है और दिनाक 10.09.2023 को साफ इंकार कर दिया । इसलिए वादी को वाद लाना जरूरी हो गया है यही वाद कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूध हासिल है। उक्त आराजी अदालत वाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में स्थित है इसलिए श्री मान न्यायालय मे वाद प्रस्तुतकर रहा है । यह कि वाद पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है । लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) डिक्री घोष्णात्मक डिक्री वाके चक 5 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, के खाता संख्या 6/3 मुरबा न0 24,37,45, में कुल तादादी 11.130 है० नहरी मय खाल, एवम चक 5 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, के खाता संख्या 79/56 मुरबा न0 24 में कुल तादादी 3.289 है० नहरी मय खाल, दर्ज भूमि को मुताबिक जमाबन्दी एंव कब्जा काश्त अनुसार वादी का अलग खाता घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश फरमाया जावे। एवं उक्तानुसार कृषि भूमि का विभाजन आदेश पारित किया जावे।

(ख) वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि की इस आश[illegible] निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण स० 1 ता [illegible] वादी के कब्जा काश्त [illegible] भूमि मे किसी भी प्रकार से रहन, बैय व हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध [illegible]

(ग) खर्चा वाद, वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो वादी के हित मे हो वह भी वादी को [illegible]वादीगण से दिलवाया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

[illegible] अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 तलबी साधारण सम्मन से न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तलबी जरिए समाचार पत्र प्रकाशन के करवाई गई। प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2072–2075 चक 5 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भू.अ.नि.क्षेत्र. 18 जैड़ खाता संख्या 6/3, जमाबंदी सम्वत 2072–2075 चक 5 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भू.अ.नि.क्षेत्र. 18 जैड़ खाता संख्या 79/56 संयुक्त खाता की आराजी होने से वादी एवम प्रतिवादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए क्रमांक /भू.अ./158 दिनांक 10.01.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

क.सं.	**खातेदार**	**रकबा का विवरण**
1	लखवीर सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जट सिख निवासी देह खातेदार	चक 5 सी छोटी मुरबा नम्बर 24 में किला नं. 1/1(0.202), 1/2(0.026), 2/1(0.228), 2/2(0.025), 3/1(0.228), 3/2(0.025), 8–9(0.506), 10–11(0.456), 12(0.253) कुल 1.949 हैक्टर, नहरी 1.873, खाला 0.076 हैक्टर चक 5 सी छोटी मुरबा नम्बर 37 में किला नं. 21(0.228) कुल 0.228 हैक्टर नहरी कुल रकबा 2.177 हैक, नहरी 2.101 हैक्टर, खाला 0.076 हैक्टर
2	लखवीर सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जट सिख निवासी देह खातेदार	चक 5 सी छोटी मुरबा नम्बर 24 में किला नं. 4/1(0.228), 4/2(0.025), 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6–7–13–14–15–16–17–(1.771 हैक्टर), 18(0.065) हैक्टर कुल 2.342 हैक्टर, नहरी 2.292 हैक्टर, खाला 0.050 हैक्टर
3	शेष खाला बदस्तूर रहेगा।	

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित [illegible]ता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भ[illegible]र ऋ[illegible]ार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अ[illegible] जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/[illegible]ानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeenu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(अनवान राजेन्द्र कुमार बनाम अखिल कुमार
राजस्व वाद संख्या – 78 / 2022)

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.01.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner